छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ 5–41/2023/10–2 नवा रायपुर, दिनांक ०७ /01/2026

प्रति,

ए.आई.जी. (एफ.सी.)
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन,
जोर बाग अलीगंज रोड़
नई दिल्ली – 110003।

विषयः– Proposal for seeking prior approval of the Central Government under section 2 (1) (ii) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 in favour of M/s South Eastern Coalfield Limited for non-forestry use of additional 94.293 ha revenue forest land of Gevra OC expansion project of Coal Mining in Korba District of Chhattisgarh (Online proposal No. FP/CG/MIN/41389/2019).

संदर्भः– 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-41/2017 (Vol.) FC, दिनांक 09.02.2024।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/खनिज/LAND-43021/6/2025-FOREST HQ 2194, दिनांक 25.08.2025।
3. महाप्रबंधक (खनन), एस.ई.सी.एल. बिलासपुर का पत्र क्र./एस.ई.सी.एल./बी.एस.पी./वन/2025/408, दिनांक 03.12.2025।

******

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक 1 दिनांक 09.02.2024 के माध्यम से सशर्त सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदाय की गई है।

2/– उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र. 2 (c) के तारतम्य में महाप्रबंधक (खनन) एस.ई.सी.एल. बिलासपुर द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 3 के माध्यम से प्रकरण में आवेदक संस्थान द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रदायित ACA भूमि को भारत सरकार के नये वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 के दिशा निर्देश पुस्तिका के अध्याय–2 के पैरा 2.4(4)(iv) के तहत् मान्य किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3/– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) के संदर्भित पत्र क्रमांक 2 तथा महाप्रबंधक (खनन), एस.ई.सी.एल. के संदर्भित पत्र क्र. 3 के माध्यम से भारत सरकार के सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन की छायाप्रति उचित कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। कृपया प्रकरण में द्वितीय चरण की स्वीकृति जारी करने का अनुरोध है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार (522 पृष्ठीय)।

(डी.आर.सोन्टापर)
उप सचिव
छत्तीसगढ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

क्रमशः 2

D/FCA/ Latter-N/Lalit

पृष्ठां.क्रमांक एफ 5–09 / 2025 / 10–2 नवा रायपुर, दिनांक 09 / 01 / 2026

प्रतिलिपि :–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर छत्तीसगढ़।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
3. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
4. वनमंडलाधिकारी, कटघोरा वनमंडल, छत्तीसगढ़।
5. मुख्य महाप्रबंधक, साउथ ईस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड, गेवरा क्षेत्र, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

उप सचिव
छत्तीसगढ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पंजी क्रमांक 1673
/201/10-2/वन
दिनांक 01/09/2025

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉपलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू–प्रबंध/खनिज/ LAND-43021/6/2025-FOREST HQ 2194 As per e-signature

प्रति,

अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

विषय : **Proposal for seeking prior approval of the central Government under section 2(1) (ii) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 in favor of M/s South Eastern Coalfield Limited for Non- forestry) use of additional 94.293 ha. Revenue forest land of Gevra OC expansion Project of Coal Mining in Korba District of Chhattisgarh**

संदर्भ:–
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का 8-41/2017 (Vol.) FC दिनांक 09.02.2024
2. छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ 5–41/2025/10–2 दिनांक 29.02.2024
3. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ त.अ/ 1989 दिनांक 08.07.2025 एवं पत्र क/2364 दिनांक 13.08.2025

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के संदर्भित पत्र–1 द्वारा महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. गेवरा क्षेत्र जिला कोरबा के कटघोरा वन मंडल अंतर्गत गेवरा खुली खदान रकबा 94.293 हे. वन भूमि कोयला उत्खनन के गैर वानिकी कार्य हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसकी संसूचना संदर्भित पत्र–2 के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुई है।

उक्त के अनुक्रम में संदर्भ पत्र–3 के माध्यम से मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर द्वारा प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन अनुशंसा सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जो निम्नानुसार है:–

S. No.	Condition	Compliance
1	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है, तदाशय का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–1**
2	**Compensatory Afforestation** a. As per the provisions of rule (13) of Van (Sanrakshan EvamSamvardhan) Rules, 2023, the Compensatory Afforestation shall becarried over non-forest land equal in extent to the forest areaproposed. The State shall submit relevant documents/ certificates/maps/KML file for suitable non-forest land so identified. Thesuitable non-forest land for the compensatory	शर्त अनुसार सूरजपुर वनमंडल के दुग्गा ओपन कास्ट माईनिंग में 94.293 हे. क्षेत्र को ACA के तहत् दी गई है। उक्त भूमि को वनभूमि के रूप में अधिसूचित करने हेतु भू–प्रबंध प्रभाग द्वारा पत्र क/1661 दिनांक 05.06.2025 द्वारा अधिसूचना प्रस्ताव छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को प्रेषित किया गया था। जिसके अनुक्रम में छ.ग. शासन के पत्र दिनांक 20.06.2025 द्वारा अतिरिक्त जानकारी चाही गई है, जिसे पृथक से प्रेषित

	afforestation shallbe identified as per the extant guidelines on the matter andapproval for the same will be taken from the Ministry before goingfor notification as forest under Indian Forest Act or other relevantAct; b. The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation as per the approved CA Scheme at the current wage rate in consultation with State Forest Department in the account of CAMPA of the concerned State through online portal; c. The land to be identified for raising Compensatory Afforestation shall be notified by the State Government as RF under Section-4 or PF under Section-29 of the Indian Forest Act. 1927 or under the relevant Section (s) of the local Forest Act, as the case may be, before the Stage-II approval; d. The cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars, if required on the identified CA land, shall be deposited in advance with the Forest Department by the user agency. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include afforestation of indigenous species with appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years; e. The compensatory afforestation over non-forest land, equal in extent to the forest land being diverted i.e. 94.293 ha, shall be raised by the State Forest Department at the project cost within three years from the date of grant of Stage - II approval; f. User agency either himself or through the State Forest Department shall undertake gap planting and soil & moisture conservation activities to restock and rejuvenate the degraded open forests (having crown density less than 0.40), if any, located in the area within 100 meterfrom outer perimeter of the mining lease. The plan for plantation and SMC activities will be prepared and submitted to MoEF&CC before Stage-II Clearance; g. 25% of the CA cost additionally will be spent towards soil and moisture conservation activities in the proposed CA area as per site requirement and deposited in CAF;	किया जावेगा। शर्त क्रमांक 2(d) के संबंध में वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–3**

3	**NPV** a. The User Agency shall transfer the funds towards the cost of Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. 5-3/2007-FC dated 06.01.2022 read with 22.03.2022 through online portal of CAMPA account of the State Concerned; b. At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the present rate, the user agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India;	शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की राशि रू. 9,92,07,246/– आर.टी.जी.एस. के माध्यम से खाता संख्या 72024070200015870 दिनांक 02.07. 2024 को कैम्पा खाता में जमा किया गया है। और एन.पी.व्ही. की अतिरिक्त राशि का भुगतान करने के लिये यदि ऐसा निर्धारित किया जाता है तो इस आशाय का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–4**
4	A Wildlife management with small cats as one of the focus areas shallbe prepared and got approved from the Chief Wildlife Warden. Thewildlife plan for the small cats will be subset of the integrated wildlifeplan for which money has been deposited and work has to be started.The additional funds required for the 'small cat' plan shall be depositedby the User Agency and State will start the work of wildlife conservationwithout further delay;	उक्त के अनुक्रम में आवेदक संस्थान द्वारा राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान एस.एफ.आर.टी.आई. रायपुर के माध्यम से प्रभावित पक्षी एवं मानव हाथी संघर्ष प्रबंधन के लिए वैकल्पिक आवास विकास योजना सहित वन्यजीव संरक्षण येाजना तैयार की गई है। दिनांक 31.05.2022 को यू.टी.आर. संख्या SBINR2022053186644010 के तहत् कैम्पा में पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण मंत्रालय की साईट के माध्यम से चालान तैयार करने के बाद राशि रू. 100892517/– कैम्पा खाते में जमा की गई है। छोटी बिल्लियों के लिए प्रबंधन योजना सहित एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना तैयार कर अनुलग्नक – 4 के रूप में संलग्न है।
5	The State Government shall ensure the preparation of R&R plan and itsimplementation shall be done in accordance with the provisions of Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition,Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (RFCTLARR, 2013) and theR&R plan will be shown to Ministry at the time of the compliance of theStage-I;	शर्त अनुसार पुनर्वास और पुनर्वास कार्य सी आई एल आर एंड और नीति 2012 और भूमि मुआवजा सीजी नीति 2007 के अनुसार किया गया है। 30.09.2024 तक आर एण्ड आर विवरण निम्नानुसार है कुल रोजगार दिया जाना है। 3705 आज तक दिया गया रोजगार 2907 पात्र रोजगार के बदले में मौद्रिक मुआवजा 77 परिवार दिया जाने वाला शेष रोजगार 721 परियोजना प्रभावित परिवारों 3466 पुनर्वास स्थल पर 850 नकद अनुदान 1057 शेष परिवारों को बसाया जाना है। 1139 आर एण्ड आर की स्थिति की प्रति अनुलग्नक–6 के रूप में संलग्न है।

<table>
<tr>
<td>6</td>
<td>The biological reclamation shall be done keeping in mind the seralstages of the species. Monoculture of species should be avoided.Attempts should be made to develop multi-storeyed forest with groundflora. Species like Sal may be promoted with special nursery to augmentthe supply sources;</td>
<td>शर्त अनुसार वृक्षारोपण की विभिन्न प्रजातियां इस प्रकार है। फल देने वाले जामुन इमली गंगा इमली, बेल, आम, सीताफल आदि।
औषधीय हर्बल पौधे नीम, करंज, आंवला, अर्जुन आदि।
मूल्यवान पेड़ सागौन, शीशम, खम्हार, साल, काला सिरस, बांस पेल्टाफार्म आदि है।सजावटी पौधे गुलमोहर, कचनार, अमलतास, पीपल, झारूल पटरंजीवा आदि।
प्रजातियों का चयन इस तरह से किया जाता है कि मुकुट की संरचना त्रस्तरीय प्रकृति की होगी यानी लंबे पेड़ मध्यम ऊँचाई वाले पेंड़ों के साथ संयोजन यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि कोई विशेष प्रजाति उस विशेष क्षेत्र में कुल वृक्षारोपण का 30 से अधिक नही होगी।
साल वन के पुर्न विकास के लिए एस.ई.सी.एल. गेवरा ओपन कास्ट परियोजना के जल उपचार संयंत्र के पास 25000 पौधों की साल नर्सरी स्थापित की गई है।
उपयुक्त के अलावा सीजीआरवीवीएन के माध्यम से 10 कुल लागत रू. 56849047.45 हे।
पट्टा क्षेत्र में रोपे गए साल पौधों का विवरण निम्नानुसार है।
<table>
<tr><th>Year</th><th>Area in Ha.</th><th>No. of saplings planted</th></tr>
<tr><td>2023</td><td>0.768</td><td>1920</td></tr>
<tr><td>2022</td><td>2</td><td>5000</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>2.4</td><td>6000</td></tr>
<tr><td>2019</td><td>0.4</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>2018</td><td>1.2</td><td>3000</td></tr>
</table>
उपरोक्त के अतिरिक्त गेवरा ओपन कास्ट परियोजना के खदान पट्टे के अंतर्गत 200 हे. क्षेत्र में वृक्षारोपण की अनुपलब्धता के कारण कटघोरा वन प्रभाग के माध्यम से 200 हे. साल वन का वृक्षारोपण कि योजना प्रस्तावित है। अनुलग्नक –7 के रूप में संलग्न है।</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Mined out forest areas which are already reclaimed by the User Agency,shall be handed over back to the State Forest Department formanagement and control. The UA shall prepare a land surrenderschedule for surrender of the mined out and biologically reclaimedforest land;</td>
<td>आवेदक संस्थान द्वारा पुनः प्राप्त खनन वनक्षेत्र को अंतिम खदान बंद करने की गतिविधियों के बाद 2038–39 तक वन विभाग को वापस सौंप दिया जाएगा। (गेवरा ओसीपी के 70 एमटीवाईपीआर के अनुमोदन में कोयले के उत्खनन के लिए कैलेन्डर कार्यक्रम के अनुसार) वचन पत्र अनुलग्नक – 8 के रूप में संलग्न है।</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>The UA shall undertake extensive greening programme in thesurrounding area and improve its environmental and ecological health.Mixed plantation of local species should be encouraged. The UserAgency shall maintain nursery of local species and fruit trees anddistribute to locals every year as an additional means to enrichvegetation;</td>
<td>शर्त अनुसार गांवो में व्यापक हरयाली के तहत् हर साल आस पास के गांवो में फलदार पौधे वितरित किए जा रहे है। वर्षवार वितरित पौधे की जानकारी निम्नानुसार है :–
<table>
<tr><th>Year</th><th>Saplings Distributed</th></tr>
<tr><td>2019</td><td>4000</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>2500</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>3000</td></tr>
<tr><td>2022</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>2023</td><td>900</td></tr>
<tr><td>2024</td><td>2251</td></tr>
</table>
उपरोक्त के अलावा खदान पट्टा क्षेत्र के बाहर गांवो और परिवहन मार्ग पर चौड़ी पत्तियों वाले पौधे लगाने का काम डी एफ ओर कटघोरा के माध्यम से किया गया हैं हडहीपारा गांव</td>
</tr>
</table>

		कसाईपाली में 20.000 हे. क्षेत्र में 50,000 सागौन के पौध लगाए जाएगें। पौधा रोपण कार्य की कुल लागत 1.08 करोड़ रूपये है जिसमें 04 वर्षो का रख रखाव शामिल है और यह राशि 27.07.2021 को डी.एफ.ओ. के खाते में जमा कर दी गई है। और अतिरिक्त राशि 05.04.2022 को जमा की गई है। दीपका ओ.ए. 787 और ओ.ए. 776 में 40.00 हे. क्षेत्र में 1,00,000 सागौन के पौधे लगाए गए। वृक्षारोपण कार्य की कुल लागत 2.452 करोड़ रूपये थी जिसमें 4 वर्षों के लिए रखरखाव शामिल था और यह राशि 12.06.2023 को डी.एफ. ओ. खाते में जमा कर दी गई है। दीपका ओ.ए. 787 में 20.00 हे. क्षेत्र में 50,000 सागौन के पौधे लगाए गए । वृक्षारोपण कार्य की कुल लागत 1.21 करोड़ रूपये थी जिसमें 4 वर्षों के लिए रख रखाव शामिल था और यह राशि 07.05.2024 को डीएफओ खाते में जमा कर दी गई हैं 2.00 हे. की एक नर्सरी एस.ई.सी.एल. गेवरा ओसीपी के.एम.एल. क्षेत्र में स्थानीय प्रजातियों और फलों के पेंड़ों के लिए मौजूद है जिनमें निम्नानुसार प्रजातियों शामिल है। फल वाले जामूनख इमली, गंगा इमली, बेल, आम, एवं सीताफल आदि औषधीय हर्बल पौधे नीम, करंज, आंवला, अर्जुन आदि। मूल्यवान पेड़ सागौन, शीशम, खम्हार, साल, काला सिरस, बांस पेल्टाफार्म आदि है। सजावटी पौधे गुलमोहर, कचनार, अमलतास, पीपल, झारूल पटरंजीवा आदि।
9	The top-soil shall be preserved for better growth of plants in the OBdumps/reclaimed areas;	जैसे जैसे खनन आगे बढ़ता है ऊपरी परत 1.5 मीटर लगभग गहराई की मिट्टी खोदी जाती है और अस्थायी रूप से निर्धारित स्थल आंतरिक डंप संख्या 4 और 8 पर संग्रहीत की जाती है। और बाद में जैविक सुधार से पहले तकनीकी रूप से पुनः प्राप्त डंप पर फैला दी जाती है। वर्षवार निकाली गई ऊपरी मिट्टी सीयूएम में जैसे जैसे खनन आगे बढ़ता है ऊपरी परत 1.5 मीटर निम्नानुसार है। <table><tr><td>Year</td><td>Top Soil Removed in CUM</td></tr><tr><td>2023-24</td><td>120326</td></tr><tr><td>2022-23</td><td>164058</td></tr><tr><td>2021-22</td><td>157530</td></tr><tr><td>2020-21</td><td>73206.50</td></tr><tr><td>2019-20</td><td>217500</td></tr></table>
10	Compensatory levies to be realized from the User Agency under the projectshall be transferred/ deposited, through e-challan, in to the account ofCAMPA pertaining to the State concerned through e-portal(https://parivesh.nic.in/);	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। तदाशय का वचन पत्र संलग्न है। अनुलग्नक –9
11	The KML files of diverted area, the CA areas, the proposed SMC treatmentarea and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal withall requisite details prior to Stage-II approval;	शर्त अनुसार परिवर्तित क्षेत्र सीए क्षेत्र प्रस्तावित एसएमसी उपचार क्षेत्र और डब्ल्यू एल एम पी के एमएल फाईल अनुलग्नक 10 के रूप से संलग्न है। जिन्हे ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाना है।

<table>
<tr>
<td>12</td>
<td>The following activities, as per approved plan / schemes, shall be undertakenin the lease area by the User Agency under the supervision of the StateForest Department. Approved scheme/plan shall be submitted to the Ministryalong with compliance of Stage-I approval:
e. Mitigative measures to minimize soil erosion and choking of streamshall be implemented within a period of three years with effect from theissue of Stage-II clearance in accordance with the approved Plan inconsultation with the State Forest Department;
f. Planting of adequate drought hardy plant species and sowing of seeds, in the appropriate area within the mining lease to arrest soil erosion in accordance with the approved scheme;
g. Construction of check dams, retention /toe walls to arrest sliding down of the excavated material along the contour in accordance with the approved scheme;
h. Stabilize the overburden dumps by appropriate grading/benching, in accordance with the approved scheme, so as to ensure that angles of repose at any given place is less than 28o; and</td>
<td>शर्त अनुसार मृदा संरक्षण योजना तैयार एवं क्रियान्वित की गई है। अनुलग्नक 11 ढलानों पर पौधारोपण प्रति हेक्टेयर 3500 पौधे के साथ साथ चेक डेम कंटूर ट्रेंच और पत्थर के बोल्डर वाले बांध मिट्टी के कटाव और जलधारा अवरोध वाले क्षेत्रों में बनाए गए है। विवरण निम्नानुसार है:–
<table>
<tr><th>Year</th><th>Contour Trench (per trench)</th><th>Check Dams (per CUM)</th><th>Bunds with stone boulders (per CUM)</th></tr>
<tr><td>2024</td><td>5000</td><td>10000</td><td>10000</td></tr>
<tr><td>2022</td><td>11845</td><td>11845</td><td>11845</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>7200</td><td>7500</td><td>7500</td></tr>
<tr><td>2018</td><td>300</td><td>20</td><td>20</td></tr>
</table>
रोपित की गई प्रजातियों में साल, नीम, करंज, आंवला, शिशम, सिरस, बेल, बांस, गंगा इमली, बहेड़ा, अशोक, गुलमोहर, सतावन, सागौन, जामुन, पेल्टाफोरम, खम्हार, सीताफल, शामिल है। अमरूद, कटहल, इमली, आम, शीशम आदि वर्षवार वृक्षारोपण अनुलग्नक 12 के रूप में संलग्न है। कंटूर के साथ खुदाई की गई सामग्री को नीचे खिसकने से रोकने के लिए टो वॉल रिटेनिंगवाल और गैबियनवॉल प्रदान की गई है।
<table>
<tr><th>Structure</th><th>Location</th><th>Dimension</th></tr>
<tr><td rowspan="4">Retaining wall with Drain</td><td>Along P3 Q3 belt near W1 TRS</td><td>182m X 5m ht. 1.2mX0.9m RCC Drain</td></tr>
<tr><td>Along J3 belt</td><td>240mX 5m ht. 300mX 2m</td></tr>
<tr><td>Near Junadih Siding</td><td>2050m X 2m ht. 1.2m X 0.9m drain</td></tr>
<tr><td>External Dump no. 6 & 7</td><td>650m X 1m ht. Top width 200mm</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Gabion wall</td><td>From weigh bridge W5 to LK seam coal face side</td><td>1200m length, 3 stage, 3m height</td></tr>
<tr><td>Along toe of dump no. 4 near E2/ E1 TRS</td><td>342m, 3 stage, 3m height</td></tr>
</table>
बाहरी डंप की 7 संख्या और आंतरिक डंप की 8 संख्याए है बाहरी डंप संख्या 1 2 3 4 5 6 और 7 को वर्ष 1987 से 2018 के दौरान पहले से ही जैविक रूप से पुनः प्राप्त किया जा चुका है। आंतरिक डंप संख्या 1 को जैविक रूप से पुनः प्राप्त किया गया है। बाकी आंतरिक डंप संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 चालू डंप हैं हांलाकि डंप संख्या 2, 3, 4, 5, 6 और 7 का कुल हिस्सा जैविक रूप से पुनः प्राप्त किया गया है।</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Safety Zone Management: Following activities, at project cost, shall beundertaken by the user agency for the management of safety zone as perrelevant guidelines issued by the Ministry's guidelines:</td>
<td>Safety Zone Fencing afforestation work has been awarded in favor of CGVVN vide S.No/SECL/BSP/FOREST no. 151 DT: 01.10.16. को किया गया है। जिसमें से 28000 पौधे लगाने के साथ–साथ 14 कि.मी. के सुरक्षा क्षेत्र का कार्य पूरा हो चुका</td>
</tr>
</table>

	e. User agency shall ensure demarcation of safety zone (7.5-meter strip allalong the inner boundary of the mining lease area), and its fencing,protection and regeneration by erecting adequate number of 6 feet highRCC boundary pillars inscribed with DGPS coordinates with barbedwire fencing and deploying adequate number of watchers under thesupervision of the. State Forest Department; f. Boundary of the safety zone of the mining lease, adjacent to habitation/roads, should be properly fenced by the user agency; g. Safety zone shall be maintained as green belt around mining lease and to ensure dense canopy in the area, regeneration shall be taken up in this area by the user agency at project cost under the supervision of the State Forest Department; h. The State Government and the user agency shall ensure that safety zone is maintained as per the prescribed norms;	है। आवास सड़कों से सटे खनन पट्टे के सुरक्षा क्षेत्र की सीमा को उचित रूप से बाड़ लगा कर घेरा गया है। फोटोग्राफ्स अनुलग्नक 13 के रूप में संलग्न है।
14	No damage shall be caused to the top-soil and the user agency will follow thetop soil management plan;	ऊपरी मिट्टी को कोई नुकसान नही पंहुचाया जाएगा। मृदा संरक्षण योजना में शामिल ऊपरी मृदा प्रबंधन योजना का पालन किया जा रहा है।
15	The User Agency shall prepare a list of existing village tanks and other waterbodies with GPS co-ordinates located within five km from the mine leaseboundary. This list is to be duly verified by the concerned Divisional ForestOfficer. The User Agency shall regularly undertake desilting of these villagetanks and other water bodies so as to mitigate the impact of siltation of suchtanks/water bodies. A detailed approved plan for desilting of identified pondsand water bodies to be prepared in consultation with forest department and shall be submitted to MoEF&CC before Stage-II approval;	शर्त अनुसार खदान पट्टे की सीमा से 5 किलोमीटर के भीतर स्थित मौजूदा गांव के तालाबों और अन्य जल निकायों की GPS निर्देशांक के साथ एक सूची तैयार की गई। यह सूची 18.07.2018 को डी.एफ.ओ. को सौपी गई और सत्यापित की गई। कुल 41 तालाबों की पहचान की गई, जिस पर चरण बद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। पहले चरण में 9 तालाबों पर विचार किया गया 14.08.2020 को 53.82 लाख रूपये की राशि के लिए कार्य आदेश जारी किया गया जिसमें मडवाधोरा, रलिया, नवापारा, विजय नगर एवं बिंझरा गांवों के 9 तालाब शामिल है। प्रथम चरण के 9 तालाबों की गाद निकालने का कार्य मई 2021 में पूरा हो चुका है। दूसरे चरण में राशि रू. 10135886/– गांवो बरभट्टा (1), मुरियानार (1), छिंदपुर (2), दीपका (2), ढुरेना (1), कुचेना (1) में 8 तालाबों की पहचान की गई 31 मार्च 2022 को एलओए जारी किया गया और काम पूरा हो गया है। तीसरे चरण में राशि रू. 13178677/– में 8 तालाबों की सफाई की गई है भिलाई बाजार 2, खोडरी 2, हरदीबाजार 2, सुवाभोड़ी 1, और मलगांव 1, के लिए कार्य आदेश दिनांक 25.06.2023 को जारी किया गया है। चौथा चरण में सफाई के लिए कार्य आदेश दिनांक 08.05.2022 को जारी किया गया है मौवाड़ी 1, हरदीबाजार 3, गोबरघोरा 1, दादरपारा 1, अनुलग्नक 14 के रूप में सलंग्न है।
16	The cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with theState Forest Department;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का वचन पत्र संलग्न है। अलुग्नक 15
17	Trees should be felled in phased manner as per	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का वचन पत्र

	the requirement in theapproved Mining Plan with prior permission of concerned DFO;	संलग्न है। अलुग्नक 16
18	The User Agency shall undertake that afforestation of the non mineralizedvirgin forest land within the mining area shall be taken up at project cost;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का वचन पत्र संलग्न है। अलुग्नक 17
19	The user agency shall explore the possibility of translocation of maximumnumber of trees identified to be felled and shall ensure that any tree fellingshall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervisionof the State Forest Department.	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का वचन पत्र संलग्न है। अलुग्नक 18
20	A copy of approved WLM Plan shall be submitted to the Ministry along with the compliance of Stage-I approval. Entire cost of implementation of theprovisions of the Wildlife Management Plan shall be deposited into theaccount of CAMPA of the State;	शर्त अनुसार एस एफ आर टी आई रायपुर के माध्यम से Small Cats के लिए प्रबंधन योजना सहित एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना के लिए प्रबंधन योजना रिपोर्ट की प्रति इस अनुपालन रिपोर्ट के साथ संलग्न है। इस संबंध में वचन पत्र अनुलग्नक 19 के रूप में संलग्न है।
21	State Government shall complete settlement of rights, in term of theScheduled Tribes and Traditional Forest Dwellers (Recognition ofForest Rights) Act, 2006, if any, on the forest land to be diverted as perthe sub-rule (7) of Rule 11 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan)Rules, 2023;	शर्त गैर वानिकी उद्देश्य के लिए 94.293 हे. राजस्व वनभूमि के डायवर्सन के संबंध में कलेक्टर कोरबा का अनापत्ति एवं FRA की प्रति अनुलग्नक 20 के रूप में संलग्न है।
22	The User Agency shall undertake that user agency and the State ForestDepartment shall create and maintain from funds to be provided by the useragency alternate habitat/ home for the avifauna, whose nesting trees are tobe cleared in this project as per the plan duly approved by the Principal ChiefConservator of Forests (Wildlife) and the Chief Wildlife Warden Chhattisgarh.Bird nests artificially made out of eco-friendly materials shall be used in thearea, including forest area and human settlements, adjoining the forest areabeing diverted for the project;	शर्त अनुसार राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान एसएफआरटीआई रायपुर के माध्यम से प्रभावित पक्षी एवं मानव हाथी संघर्ष प्रबंधन के लिए वैकल्पिक आवास विकास योजना सहित वन्यजीव संरक्षण योजना की राशि रू. 100892517/- दिनांक 31.05.2022 को UTR No. SBINR52022053186644010 को कैम्पा खाते में जमा किया गया है।
23	The User Agency shall undertake that the project authority needs to take upworks for construction and cleaning of garland drains, stabilizing retainingwalls, proper terracing of OB dumps and checking gully formation resulting insoil erosion;	शर्त अनुसार ढलानों पर वृक्षारोपण 3500 पौधे प्रति हे. वृक्षारोपण के साथ मिट्टी के कटाव और जल धारा अवरोध वाले क्षेत्रों में चेक डेम, कंटूर, ट्रेंच, और पत्थर के बोल्डर से बांधो का निर्माण किया गयाहै। विवरण निम्नानुसार है :-

Year	Contour Trench (per trench)	Check Dams (per CUM)	Bunds with stone boulders (per CUM)
2024	5000	10000	10000
2022	11845	11845	11845
2021	7200	7500	7500
2018	300	20	20

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>उत्खनित सामग्री को समोच्च रेखा के साथ नीचे खिसकने से रोकने के लिए टो–वॉल/रिटेनिंग वॉल और गैबियनवाल प्रदान की गई है।
<table>
<tr><th>Structure</th><th>Location</th><th>Dimension</th></tr>
<tr><td rowspan="4">Retaining wall with Drain</td><td>Along P3 Q3 belt near W1 TRS</td><td>182m X 5m ht.
1.2mX0.9m RCC Drain</td></tr>
<tr><td>Along J3 belt</td><td>240mX 5m ht.
300mX 2m</td></tr>
<tr><td>Near Junadih Siding</td><td>2050m X 2m ht.
1.2m X 0.9m drain</td></tr>
<tr><td>External Dump no. 6 & 7</td><td>650m X 1m ht.
Top width 200mm</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Gabion wall</td><td>From weigh bridge W5 to LK seam coal face side</td><td>1200m length, 3 stage, 3m height</td></tr>
<tr><td>Along toe of dump no. 4 near E2/ E1 TRS</td><td>342m, 3 stage, 3m height</td></tr>
</table>
बाहरी डंप की 7 संख्या और आंतरिक डंप की 8 संख्याए है बाहरी डंप संख्या 1 2 3 4 5 6 और 7 को वर्ष 1987 से 2018 के दौरान पहले से ही जैविक रूप से पुनः प्राप्त किया जा चुका है। आंतरिक डंप संख्या 1 को जैविक रूप से पुनः प्राप्त किया गया है। बाकी आंतरिक डंप संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 चालू डंप हैं हांलाकि डंप संख्या 2, 3, 4, 5, 6 और 7 का कुल हिस्सा जैविक रूप से पुनः प्राप्त किया गया है। इस संबंध में वचन पत्र अलुग्नक 21 के रूप में संलग्न है।</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>The User Agency shall undertake that plants which are having lowesttranslocation factor can be preferred under afforestation on the OB dumpsand fruit trees to be avoided in planting during biological stabilization of OBdumps;</td>
<td>शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का वचन पत्र संलग्न है। अलुग्नक 22</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>The User Agency shall undertake that prevention of fall of wild animals intomining pit by fencing the open pit area;</td>
<td>शर्त अनुसार खुले गढ्ढे वाले क्षेत्र में बाड़ लगाने की व्यवस्था की गई है अनुलग्नक 23 के रूप में संलग्न है।</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>The User Agency shall undertake that the angle of repose in OB dumps to be maintained to ensure stability and safety;</td>
<td>शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का वचन पत्र संलग्न है। अलुग्नक 24</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>The User Agency shall undertake that vetiver grass can be planted at the lower reaches of the dump to bind the soil and prevent soil erosion giving better stability to the dump;</td>
<td>शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का वचन पत्र संलग्न है। अलुग्नक 25</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>The User Agency shall undertake mining in a phased manner after taking duecare for reclamation of the mined over area. The concurrent reclamation planas per the approved mining plan shall be executed by the User Agency fromthe very first year, and an annual report on implementation thereof shall be submitted to the Nodal Officer, Forest (Conservation) Act, 1980, in the concerned State Government and the concerned Regional</td>
<td>दिनांक 01.07.2024 भूमि पुर्नग्रहण की स्थिति निम्नानुसार है।
<table>
<tr><th>TOTAL QUARRIABLE AREA</th><th>VOID BE LEFT AT CLOSURE</th><th>TOTAL AREA EXCAVATED</th><th>PRORATA AREA NOT REQUIRED TO BE BACKFILLED</th></tr>
<tr><td>2037.250 Ha</td><td>659.250 Ha</td><td>1822.592 Ha</td><td>589.787 Ha</td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>Office of theMinistry. If it is found from the annual report that the activities indicated in theconcurrent reclamation plan are not being executed by the User Agency, theNodal Officer or the concern Addl. Principle Chief Conservator of Forests(Central) may direct that the mining activities shall remain suspended till suchtime, such reclamation activities area satisfactorily executed;</td><td><table>
<tr><th colspan="2">INTERNAL DUMP (Ha)</th><th colspan="2">EXTERNAL DUMP(Ha)</th><th rowspan="2">TOTAL BIOLOGICALLY RECLAIMED AREA (Ha)</th></tr>
<tr><th>AREA UNDER TECHNICAL RECLAMATION</th><th>BIOLOGICALLY RECLAIMED AREA</th><th>TECHNICALLY RECLAIMED AREA</th><th>BIOLOGICALLY RECLAIMED AREA</th></tr>
<tr><td>977.100</td><td>137.600</td><td>374.331</td><td>367.200</td><td>504.800</td></tr>
</table>
त्रैमासिक भूमि पुर्नग्रहण की स्थिति संलग्न है। अनुलग्नक 26</td></tr>
<tr><td>29</td><td>The User Agency shall comply with the Hon'ble Supreme Court order on regrassing,and re-grass the mining area and any other areas which may havebeen disturbed due to mining to restore them to a condition which is fit forgrowth of fodder, flora, fauna, etc. in a timely manner;</td><td>शर्त अनुसार गेवरा परियोजना खदान बंद करने की योजना के अनुसार भूमि का जीर्णोद्धार और पुर्नग्रहण किया जाएगा। अब तक 1226.606 हे. क्षेत्र में 45.66 लाख से अधिक पौधे लगाए जा चुके है।</td></tr>
<tr><td>30</td><td>Period of diversion of the said forest land under this approval shall be for aperiod co-terminus with the period of the mining lease proposed to begranted under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act,1957, as amended and the Rules framed there-under;</td><td>मान्य है।</td></tr>
<tr><td>31</td><td>The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per theprovisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required;</td><td>70 MTPA उत्पादन क्षमता के लिए पर्यावरण मंजूरी दिनांक 05.03.2024 को प्रदान कर दी गई है। प्रतिलिपि अनुलग्नक 27 के रूप में संलग्न है।</td></tr>
<tr><td>32</td><td>No labour camp shall be established on the forest land and the User Agencyshall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staffworking at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearbyforest areas;</td><td>गेवरा परियोजना में सहकारी समिति की स्थापना की गई है। ताकि कार्यस्थल पर कार्यरत लोगो को एलपीजी गैस कनेक्शन की आपूर्ति की जा सके जिससे पेंड़ों को होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सकें। 7178 एलपीजी कनेक्शन प्रदाय किया गया है।</td></tr>
<tr><td>33</td><td>The boundary of the diverted forest land, mining lease and safety zone, as applicable, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting fourfeet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serialnumber, distance from pillar to pillar and GPS coordinates;</td><td>खनन पट्टे और सुरक्षा क्षेत्र की सीमा का सीमाकंन उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा जमीन पर सीमाकंन, बांउड्री पिल्लर, गारलेनड्रेन एवं चैनलिंक फेसिंग किया गया है।</td></tr>
<tr><td>34</td><td>The layout plan of the mining plan/ proposal shall not be changed without theprior approval of the Central Government and the forest land shall not beused for any purpose other than that</td><td>शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का वचन पत्र संलग्न है। अलुग्नक 28</td></tr>
</table>

	specified in the proposal;	
35	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances betransferred to any other agency, department or person without prior approvalof the Central Government;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का वचन पत्र संलग्न है। अलुग्नक 29
36	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का वचन पत्र संलग्न है। अलुग्नक 30
37	Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry maystipulate with the approval of competent authority in the interest ofconservation, protection and development of forests & wildlife; and	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का वचन पत्र संलग्न है। अलुग्नक 31
38	The user agency shall comply with all the provisions of all Acts, Rules,Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s)pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable tothe project.	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का वचन पत्र संलग्न है। अलुग्नक 32
39	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest(Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para1.21 of Chapter 1 of the Handbook of comprehensive guidelines of Forest(Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No. 5-2/2017-FCdated 29.12.2023.	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का वचन पत्र संलग्न है। अलुग्नक 33
40	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest(Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para1.21 of Chapter 1 of the Handbook of comprehensive guidelines of Forest(Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No. 5-2/2017-FC dated 29.12.2023.	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का वचन पत्र संलग्न है। अलुग्नक 34
41	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का वचन पत्र संलग्न है। अलुग्नक 35

उपरोक्त प्रथम चरण स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार नोडल कार्यालय द्वारा परीक्षण किया गया है। पालन प्रतिवेदन भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रेषित करने हेतु 02 प्रतियों में अनुशंसा सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः— **उपरोक्तानुसार**

(पालन प्रतिवेदन 2 प्रतियों में)

(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by SUNIL KUMAR MISHRA
Date: 25-08-2025 12:42:58

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्र./वन (सं.एवं सं.)अ.)
नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

782

पृ. क्र0/भू–प्रबंध/खनिज/ LAND-43021/6/2025-FOREST HQ 2195 As per e-signature

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक,** बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
2. **वन मण्डलाधिकारी,** कटघोरा वनमंडल, कटघोरा, छत्तीसगढ़।
3. **महाप्रबंधक,** एस.ई.सी.एल. गेवरा क्षेत्र जिला–कोरबा, छत्तीसगढ़।

783

कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

सिंधी कॉलोनी, जरहाभाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड–495001
फोन : 07752-227624, फैक्स : 07752-221385 E-mail : ccf.bilaspur-cg@gov.in

क्रमांक/तक./ 1989 बिलासपुर, दिनांक 08/07/2025

प्रति,

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
(भू–प्रबंध)
अरण्य भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

विषय :– Request to provide land for Compensatory Afforestation (CA) approx 190.00 Ha. against diverstion of 94.293 ha. Revenue Forest Land of SECL Gevra OCP. (Registration No. FP/CG/MIN/41389/2019)

संदर्भ :–1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र दिनांक 09.02.2024 एवं छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर का पत्र क्रमांक 5–41/2023 –10–2 दिनांक 29.02.2024

2. आपका पत्र क्र./भू–प्रबंध/खनिज/331–274/11 दि.02.01.2025 एवं व.म.अ. कटघोरा का पत्र क्र./ तक./2795 दिनांक 05.06.2025

——00——

विषयांतर्गत लेख है कि आवेदक एस.ई.सी.एल. गेवरा क्षेत्र, जिला कोरबा (छ.ग.) वनमंडल कटघोरा के अंतर्गत गेवरा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु 94.293 हे. राजस्व वन भूमि का भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र दिनांक 09.02.2024 के द्वारा प्रथम चरण की स्वीकृति प्रदान की गई है, प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन मय पृथक–पृथक वचन पत्र वनमण्डलाधिकारी कटघोरा के पत्र क्र./तक./2795 दिनांक 05.06.2025 के द्वारा अनुशंसा सहित प्रेषित किया गया है।

अतः निर्देशानुसार प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन मय वचन–पत्र अनुशंसा सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुरवृत्त, बिलासपुर

पृ.क्रमांक/तक./ 1990 बिलासपुर, दिनांक 08/07/2025

प्रतिलिपि –

1. वनमण्डलाधिकारी कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
2. महाप्रबंधक, एसईसीएल गेवरा क्षेत्र जिला कोरबा (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुरवृत्त, बिलासपुर

784

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी कटघोरा वनमण्डल कटघोरा, जिला - कोरबा (छ.ग.)

Phone/Fax No.: 07815-250157, mail : dfokatghora@gmail.com

क्रमांक / तक.अधि. / 2025 / 2795 कटघोरा, दिनांक 05.06.2025

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय : Proposal for seeking prior approval of the central Goverment under section 2 (1) (ii) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 in favor of M/s South Eastern Coalfield Limited for non-forestry) use of additonal 94.293 ha. Revenue forest land of Gevra OC expansion project of Coal Mining in Korba District of Chhattisgarh.

(RegistrationNo. FP/CG/MIN/41389/2019)

संदर्भ: 1. आपका पत्र क्र. / 2070 दिनांक 24.03.2025
2. महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल.गेवरा क्षेत्र जिला कोरबा का पत्र क्र. / 04 दिनांक 04.04.2025

—— ::000:: ——

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. गेवरा क्षेत्र जिला कोरबा द्वारा गेवरा ओपन कास्ट परियोजना रकबा 94.293 हे. हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 09.02.2024 को प्रथम स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रथम चरण स्वीकृति में निहित शर्त 01 से 41 तक बिंदुवार पालन प्रतिवेदन तैयार प्रेषित किया गया था जिसमें 09 बिंदुओ की आपत्ति आपके द्वारा उठाई गई है। उक्त 09 बिंदुओ की जानकारी तैयार कर आपकी ओर सादर संप्रेषित है।

क.	Information sought	Details
1	प्रकरण में समस्त राशियों को कैम्पा खाते में जमा कराने उपरांत कैम्पा पत्रक संलग्न नही है।	आवेदक विभाग द्वारा एन.पी.व्ही. की राशि रू. 9,92,07,246 /- दिनांक 02.07.2024 को UTBR संख्या 72024070200015870 के माध्यम से कैम्पा खाते में जमा किया गया है। पावती संलग्न है। अनुलग्नक -1
2.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 190.00 हे बिगड़े वनभूमि हेतु राशि जमा किये जाने का विवरण नहीं दिया गया है।	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु एस.ई.सी.एल. भटगांव क्षेत्र अंतर्गत दुग्गा ओपन कास्ट माईन्स, सूरजपुर वनमंडल अंतर्गत 94.293 हे. गैर वन भूमि को चयन किया गया है। जिसमें क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि का भुगतान लागू नही है। इसके अतिरिक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि जमा करने के लिये आवेदक विभाग का वचन पत्र संलग्न है। **अनुलग्नक -2**
3	बिंदु कमांक 02 a,b,c,d,e,f का स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करें एवं g के अनुसार जमा राशि का विवरण प्रस्तुत करें।	a. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु एस.ई.सी.एल. भटगांव क्षेत्र अंतर्गत दुग्गा ओपन कास्ट माईन्स, सूरजपुर वनमंडल अंतर्गत 94.293 हे. गैर वन भूमि को चयन किया गया है। उपयुक्त गैर वनभूमि की पहचान के लिये प्रस्तावित क्षेत्र का नक्शा, के.एम.एल. फाईल, प्रामण पत्र आदि दस्तावेज वनमंडलाधिकारी सूरजपुर को दिनांक 07.03.2025 को आवेदक विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया है। **अनुलग्नक -3** b. आवेदक विभाग का वचन पत्र संलग्न है। **अनुलग्नक -2** c. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उक्त क्षेत्र का अधिसूचना तैयार करने के लिये वनभूमि से संबंधित दस्तावेज नक्शा, के.एम.एल. एवं उपयुक्तता प्रमाण पत्र सूरजपुर वनमंडल को दिनांक 07.03.2025 को प्रेषित है। **अनुलग्नक -3** d. आवेदक विभाग ने क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चयन किये गये क्षेत्र का सर्वेक्षण, सीमांकन एवं पिल्लर लगाने हेतु

मुख्य वन संरक्षक, वृत्त बिलासपुर (छ.ग.) 10/6/2025

O/C

785

		राशि जमा करने का वचन पत्र दिया गया है। **अनुलग्नक–2** एवं मांग पत्र जारी करने हेतु सूरजपुर वनमंडल को दिनांक 26.11.2024 को लेख किया गया एवं दिनांक 24.02.2025 को स्मरण कराया गया है। **अनुलग्नक –4** e. आवेदक विभाग द्वारा वृक्षारोपण हेतु उक्त क्षेत्र 0.4 घनत्व होने के कारण CA की राशि लागू नही होगी लेख किया है। यदि आवश्यक हो तो क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि जमा करने का वचन पत्र संलग्न किया है। **अनुलग्नक – 2** f. माईनिंग लीज एरिया के 100 मी के भीतर स्थित अवक्रमित खुला वन जिसका घनत्व 0.4 से कम है जिस पर गेप प्लांटेशन तथा मृदा एवं जल संरक्षण योजना हेतु क्षेत्र उपलब्ध कराने के लिये वन परिक्षेत्र अधिकारी कटघोरा को लेख किया गया है। g. प्रस्तावित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण में मृदा एवं जल संरक्षण गतिविधियों के लिए सी.ए. लागत का 25 प्रतिशत अतिरिक्त खर्च किये जाने हेतु आवेदक विभाग का वचन पत्र संलग्न है। **अनुलग्नक – 6**
4	बिंदु कमांक 04 वन्यप्राणी योजना एवं पक्षी संवर्धन योजना कैट प्लांट योजना अनुमोदन उपरांत प्रावधानित राशि जमा किये जाने का विवरण प्रस्तुत करें।	आवेदक विभाग द्वारा वन्यप्राणी योजना एवं पक्षी संवर्धन योजना कैट प्लांट योजना अनुमोदन उपरांत प्रावधानित राशि जमा किये जाने का विवरण एवं वचन पत्र संलग्न है। **अनुलग्न 7 एवं अनुलग्नक 8**
5	बिंदु कमांक 06 के अनुसार बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन के संबंध में आपके द्वारा 200 हे क्षेत्र में साल वृक्षारोपण के लिये राशि 56849047.45 रू प्रस्तावित किया गया मांग पत्र राशि रूपये 62557552 रू का उल्लेख है। स्पष्ट करें कि प्रावधानित राशि जमा कराई गई है अथवा नही स्पष्ट करें।	बिंदु कमांक 06 के अनुसार बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन के संबंध में 200 हे क्षेत्र में साल वृक्षारोपण हेतु 10 बिंदुओ की जानकारी तैयार कर आवेदक विभाग को प्रेषित है। वर्तमान में आवेदक विभाग द्वारा राशि जमा नही की गई है।
6	बिंदु कमांक 12 a,b,c,d के अनुसार मृदा संरक्षण योजना का प्रस्ताव एवं प्रावधानित राशि जमा कराया गया है स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।	आवेदक विभाग द्वारा लेख है कि मृदा संरक्षण योजना के साथ तैयार की गई है। और इसे माईनिंग लीज एरिया के भीतर लागू की है ताकि मिट्टी के कटाव और जल धराओं के अवरूद्ध होने को न्यूनतम किया जा सके योजना में उल्लेखित सभी गतिविधियों को एस.ई.सी.एल. गेवरा क्षेत्र द्वारा माईनिंग लीज के भीतर की जा रही है। इसलिये उक्त कार्य हेतु राशि वनमंडल के खाते में जमा नही की गई है।
7	बिंदु कमांक 13 a,b,c,d सेफ्टीजोन का कार्य भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार किसके द्वारा करायी जा रही है, स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। (अनु. 13 में एक पेज का फोटो ग्राफ्स संलग्न किया गया है।)	सेफ्टीजोन का कार्य छ.ग.राज्य वन विकास निगम द्वारा कराया जा रहा है। आदेश की प्रति संलग्न है। अनुलग्नक –10 एवं फोटोग्राफ्स संलग्न है। अनुलग्नक –11
8	बिंदु कमांक 16 के अनुसार खनन क्षेत्र में खड़े वृक्षों का / वृक्षों की कटाई एवं विदोहन योजना अनुसार राशि जमा करा ली गई है या नहीं स्पष्ट करें।	गेवरा ओपन कास्ट परियोजना हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में आने वाले 610 नग वृक्षों के विदोहन एवं परिवहन हेतु राशि 11,10,822 /– रूपये जमा करने हेतु आवेदक विभाग को लेख किया गया है। राशि अप्राप्त है।

94.293 ha.

09 point

9	बिंदु कमांक 19 के अनुसार कितने वृक्षों का ट्रांसलोकेशन आवेदक संस्थान के द्वारा किन साधन एवं संसाधनों के द्वारा किया जाना है प्रतिवेदन अभिमत सहित प्रस्तुत करें।	आवेदक विभाग द्वारा लेख किया गया है कि एसईसीएल रायगढ़ क्षेत्र ने वृक्ष स्थानांतरण के लिए एक जर्मन निर्मित मशीन का यूज किया है। हालांकि स्थानांतरति किए गए वृक्षों का जीवित रहने की दर शून्य पाई गई इसके अलावा यह मशीन बार–बार खराब होती है। और जर्मन पार्टस की सीमित उपलब्धता के कारण इसका रखरखाव चुनौती पूर्ण साबित हुआ है फिर भी कटाई के लिए चिन्हित वृक्षों के स्थानांतरण का पता लगाया जा रहा है। इस संबंध में आवेदक विभाग का वचन पत्र संलग्न है। अनुलग्नक – 13

संलग्न : पालन प्रतिवेदन 04 प्रतियों में।

वनमंडलाधिकारी
कटघोरा वनमण्डल कटघोरा
कटघोरा दिनांक 05.06.2025

पृ. क्रमांक / तक.अधि. / 2025 / 2796
प्रतिलिपि :

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) अरण्य भवन, सेक्टर–19, अटल नगर रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. गेवरा क्षेत्र जिला कोरबा की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

वनमंडलाधिकारी
कटघोरा वनमण्डल कटघोरा

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
मिनी रत्न कंपनी
(कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी)
सीपत रोड पो.बॉ. 60ए बिलासपुर छ.ग. 495006
पर्यावरण एवं वन विभाग
Tel. No.: 07752-246324, E-mail – hodforest.secl@coalindia.in

5 DECADES OF UNEARTHING ENERGY

1299

40 Years Fuelling the Nation, Greening the Future

SECL South Eastern Coalfields Lim

Ref no.: एसईसीएल/बीएसपी/वन/**2025/408** **Date: 03.12.2025**

प्रति ,

सचिव,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़

पंजी क्रमांक...2156.............
/201/10–2/वन
दिनांक...05/12/25...2018

विषय: Regarding forwarding of compliance of Stage-I FC to MoEF&CC, New Delhi and notification of ACA land under section 29 of IFA 1927 for prior approval under Section 2(1)(ii) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 for Diversion of 94.293 Ha Revenue Forest Land for Gevra OC Expansion Project (FP/CG/MIN/41389/2019).

महोदय,

Stage-I Forestry Clearance (FC) for diversion of 94.293 ha of forest land for Gevra OCP has been granted by MoEF&CC, New Delhi vide letter no. 8-41/2017-FC(Vol.) dated 09.02.2024 (copy enclosed). The condition 2 (a) of the above Stage-I FC states,

"As per the provisions of rule (13) of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023, the Compensatory Afforestation shall be carried over non-forest land equal in extent to the forest area proposed. The State shall submit relevant documents/ certificates/ maps/KML file for suitable non-forest land so identified. The suitable non-forest land for the compensatory afforestation shall be identified as per the extant guidelines on the matter and approval for the same will be taken from the Ministry before going for notification as forest under Indian Forest Act or other relevant Act."

In compliance to the above condition, it is to bring to your kind attention that the proposal for notification of the ACA land under Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 is presently under consideration with your good office.

S.O.

5/12

In this context, as per the provisions of para 2.4 (4) (iv), CONSOLIDATED GUIDELINES AND CLARIFICATIONS issued under VAN (SANRAKSHAN EVAM SAMVARDHAN) ADHINIYAM, 1980 and VAN (SANRAKSHAN EVAM SAMVARDHAN) RULES, 2023 (December 2023),

"In exceptional cases as decided by the Government of India on case to case basis, Government owned lands, where transfer of ownership of land to the Forest Department is

not possible due to legal impediments, such lands, without changing their ownership, will be notified as Protected Forest under the Indian Forest Act, 1927 or any other local Act for the management by the Forest Department concerned as per the prescriptions of the Working Plan."

In continuation of the above, it is submitted that the proposed Accredited Compensatory Afforestation (ACA) land identified for compliance of Condition No. 2 (a) of Stage-I FC of Gevra OCP located at Dugga OCP, Bhatgaon Area of SECL, District Surajpur (CG), has been acquired under the Coal Bearing Areas (Acquisition & Development) Act, 1957. As per Section 10(1) of the CBA Act, all land acquired under the Act vests absolutely in the Central Government, and under Section 11(1), the Central Government may vest such land or right in or over the land to a Government company.

Further, as per point no. 4 of the Government of India Order dated 28.06.1979 issued for Bhatgaon Area under Section 11(1) of Coal Bearing Areas (Acquisition & Development) Act, 1957 (copy enclosed), "*The Company shall have no power to transfer the land specified in the Schedule to the said notification to any other person without the prior approval of the Central Government.*" These provisions establish that SECL cannot transfer or mutate CBA-acquired land in favour of any department of State Government.

Also As per the guidelines issued by MoEF&CC, New Delhi, vide letter FC-11/158/2024-FC dated 17.12.2025, Stage-II FC may be accorded, and notification of the ACA land may be completed before handing over the forest land to SECL.

In view of the above, It is requested that the proposal be considered under the "exceptional cases" provision of Para 2.4(4)(iv) of the Consolidated Guidelines (December 2023), the ACA land be notified as Protected Forest under Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, and the compliance of Stage-I FC for Gevra OCP (94.293 ha) be recommended & forwarded to MoEF&CC for grant of Stage-II approval.

भवदीय,

संजय कुमार सिन्हा

महाप्रबंधक (खनन)/ विभागाध्यक्ष (वन/पर्यावरण)
एसईसीएल, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) – 495006

प्रतिलिपि:

1. निदेशक (योजना एवं परियोजना), एसईसीएल, मुख्यालय, बिलासपुर — सादर सूचनार्थ।